

स्टाफ परिपत्र सं: 102435-2026

दिनांक:18.06.2026

प्रति: सभी शाखाएं/कार्यालय,

**विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना (यूबीआईरेमास)
के अंतर्गत सदस्यता पोर्टल को पुनः खोलना**

प्रमुख बिंदु

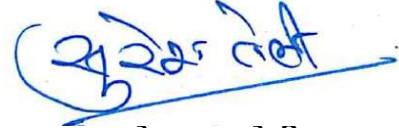
- I. यूबीआईरेमास के अंतर्गत एकमात्र नामांकन का अवसर 19.06.2026 से 18.07.2026 तक उपलब्ध रहेगा।
- II. यह एकमात्र अवसर केवल उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए आईबीए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी में नामांकन कराया है।
- III. योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- IV. इस अवधि के दौरान किए गए नामांकन के लिए ₹3000/- के वार्षिक स्वास्थ्य जांच लाभ की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. तथापि, अधिकतम ₹1.50 लाख तक के अस्पताल में भर्ती खर्चों के कवरेज का ही लाभ मिलेगा, जो कि वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹50,000 की सीमा के अधीन होगा।

1. स्टाफ कल्याण योजनाओं एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना (यूबीआईरेमास) के संबंध में जारी स्टाफ परिपत्र सं. 8221 दिनांक 18 मार्च 2024, 8258 दिनांक 12 अप्रैल 2024, 8269 दिनांक 23 अप्रैल 2024, एवं 8454 दिनांक 08 नवंबर 2024 का संज्ञान लें।
2. यह ज्ञात पाया गया कि विभिन्न कारणों से कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पूर्व में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना (यूबीआईरेमास) की सदस्यता हेतु अपना पंजीकरण नहीं करा सके थे।
3. एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि, कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक की अनुशंसाओं तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसरण में, पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूबीआईरेमास योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु एकमात्र अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।
 - 3.1. यह एकमात्र अवसर केवल उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीमित होगा, जिन्होंने वर्ष 2025-26 की आईबीए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पहले से नामांकित है.
 - 3.2. पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सदस्यता पोर्टल **19 जून, 2026 से 18 जुलाई, 2026** (दोनों दिनों सहित) तक सीमित अवधि के लिए खुला रहेगा, ताकि ऐसे पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पूर्व में

Classification: Internal

- पंजीकरण नहीं करा सके थे, नामांकन करा सकें। कृपया ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में नामांकन अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा।
- 3.3. योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु कोई सदस्यता शुल्क देय नहीं होगा।
- 3.4. इस एकमात्र अवधि के दौरान नामांकन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के अंतर्गत स्वीकार्य **₹3000/- के वार्षिक स्वास्थ्य जांच लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।**
- 3.5. **योजना के तहत लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की प्रतिपूर्ति तक सीमित होगा, जैसा कि यूबीआईआरमास योजना के तहत परिभाषित किया गया है।** योजना के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार, **₹1.50 लाख की समग्र सीमा और ₹50,000/- प्रति वित्तीय वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन है।**
- 3.6. प्रतिपूर्ति पर तभी विचार किया जाएगा जब दावा आईबीए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत विधिवत रूप से दर्ज किया हो और निपटाया गया हो। बीमाकर्ता द्वारा आच्छादित या निपटान न किए गए केवल शेष अनुमेय राशि ही यूबीआईआरमास के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।
- 3.7. यूबीआईआरमास योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके जीवनसाथी तथा मृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी को कवरेज प्रदान किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को "प्राथमिक सदस्य" के रूप में नामित किया जाएगा, जबकि जीवनसाथी को "द्वितीयक सदस्य" के रूप में नामित किया जाएगा, और दोनों मिलकर एक परिवार इकाई का गठन करेंगे। ऐसे पति/पत्नी जिनकी किसी भी स्रोत से मासिक आय ₹18,000/- या उससे अधिक है, वह द्वितीयक सदस्य के रूप में नामांकन हेतु पात्र नहीं होगा।
4. आवेदन कैसे करें और सदस्यता संख्या कैसे प्राप्त करें:
- 4.1. उपरोक्त बिंदु संख्या 3.1 में वर्णित पात्रता मानदंडों के अधीन, सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी, जो वर्तमान में यूबीआईआरमास के सदस्य नहीं हैं और योजना के सदस्य बनना चाहते हैं, वे केवल एचआरएमएस अर्थात यूनियन परिवार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन डेस्कटॉप वर्जन और यूनियन परिवार मोबाइल एप्लिकेशन दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 4.2. मॉड्यूल का नेविगेशन इस प्रकार है- **Employee Self Service > REMAS membership application > REMAS membership request.** सभी संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, तो पता/ जीवनसाथी से संबंधित विवरण में संशोधन किया जा सकता है।

- 4.3. स्वीकृत होने पर, सदस्यता संख्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगी और भविष्य के संदर्भ के लिए वह आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध होगी। सदस्यता संख्या के साथ, कर्मचारी बाद में प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
5. मौजूदा योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार दोहराई गई है:
- 5.1. परिपत्र संख्या 8221 दिनांक 18.03.2024 के अनुसार, आवेदक निर्धारित प्रारूप में सभी मूल बिलों/रसीदों/प्रमाणपत्रों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए नामित शाखा को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 5.2. नामित शाखा आवेदन को विधिवत सत्यापित करने के बाद उस क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में यह आता है।
- 5.3. क्षेत्रीय कार्यालय के मानव संसाधन प्रशासक दावे का निपटान करेंगे। स्वीकृत होने के बाद, राशि स्वचालित क्रेडिट प्रक्रिया द्वारा सीधे सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में जमा की जाएगी।
6. सभी को सलाह दी जाती है कि वे इसे ध्यानपूर्वक नोट करें और इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सभी संबंधित सदस्यों के ध्यान में लाएं।



(सुरेश चन्द्र तेली)
मुख्य महाप्रबंधक (मांस)

Staff Circular No: 102435-2026

Date: 18.06.2026

To All Branches/Offices,

**Subject: Reopening of Membership Portal under Union Bank of India
Retired Employees Medical Assistance Scheme (UBIREMAS)**

Highlights

- I. One-time enrolment opportunity under UBIREMAS from 19.06.2026 to 18.07.2026.
- II. The one-time opportunity is only for retirees enrolled in IBA Group Medical Insurance Policy for the year 2025-26.
- III. No membership fee will be charged for enrollment under the Scheme.
- IV. Enrolment made during this window shall not be provided with Annual health checkup benefit of Rs.3000/- & will be entitled for coverage of maximum hospitalization expenses of Rs.1.50 lakh subject to maximum ceiling of Rs.50,000 in a FY.

1. Attention is invited to Staff Circular No. 8221 dated 18th March 2024, 8258 dated 12th April 2024, 8269 dated 23rd April 2024, and 8454 dated 08th November 2024 regarding Staff Welfare Schemes & Union Bank of India Retired Employees Medical Assistance Scheme (UBIREMAS).
2. It has been observed that on account of various reasons, there are some retirees who could not register themselves for membership of Union Bank of India Retired Employees Medical Assistance Scheme (UBIREMAS) previously.
3. It is hereby advised that, pursuant to the recommendations of the Staff Welfare Committee Meeting and approval of the Competent Authority, a one-time opportunity is being extended to eligible retirees for enrolment under the UBIREMAS Scheme, subject to the terms and conditions outlined hereunder:
 - 3.1. The one-time opportunity shall be restricted to those retirees who are already enrolled under the IBA Group Medical Insurance Policy for the year 2025-26.
 - 3.2. The membership portal window for the eligible retirees shall remain open for a limited period from **19th June 2026 to 18th July 2026** (both days inclusive) to

Classification: Internal

facilitate enrolment of eligible retirees who could not register earlier. Please note that no further extension of the enrolment period shall be granted under any circumstances.

- 3.3. No membership fee shall be payable for enrolment under the Scheme.
- 3.4. Retirees enrolling during this one-time window **shall not be eligible for the annual health check-up benefit of Rs.3,000/-** as admissible under the Scheme.
- 3.5. The **benefit under the Scheme shall be limited to reimbursement of hospitalization expenses only, as defined under UBIREMAS Scheme, subject to an overall ceiling of Rs.1.50 lakh and a maximum limit of Rs.50,000/- per financial year,** in accordance with the extant terms and conditions of the Scheme.
- 3.6. Reimbursement shall be considered only after the claim has been duly lodged and settled under the IBA Group Medical Insurance Policy. Only the residual admissible amount not covered or settled by the insurer shall be eligible for reimbursement under UBIREMAS.
- 3.7. The UBIREMAS Scheme shall extend coverage to retired employees, their spouses, and spouses of deceased retired employees. The retired employee shall be designated as the "Primary Member", while the spouse shall be designated as the "Secondary Member", together constituting a Family Unit. A spouse earning Rs.18,000/- or more per month from any source shall not be eligible for enrolment as a Secondary Member.

4. How to apply & generation of membership number:

- 4.1. Subject to eligibility criteria as mentioned at point no. 3.1 above, retired employees/spouse of deceased retired employees, who are at present not a member of UBIREMAS and wish to become member of the scheme should apply online through HRMS i.e. Union Parivar only. Application can be submitted through both desktop version and Union Parivar mobile application.
- 4.2. The navigation of the module is **Employee Self Service> REMAS membership application > REMAS membership request**. All relevant details will be automatically displayed. In case of any changes, the modifications under the address/spouse details can be carried out.
- 4.3. On approval, the membership number will be automatically generated and same will be available at top right corner of membership application page for future reference. With the membership number, employee can apply for reimbursement subsequently.

5. The process for claiming reimbursement of hospitalization expenses as enumerated under the existing scheme is reiterated as under:

Classification: Internal

- 5.1. The applicant shall submit the application for reimbursement to the Nominated Branch along with all the original bills/receipts/certificates in the prescribed format as per Staff circular no 8221 dated 18.03.2024.
 - 5.2. Nominated branch will forward the application to the Regional office under whose jurisdiction it falls, after duly verifying the same.
 - 5.3. RO HR administrator will process the claim. Once sanctioned, the amount shall be directly credited to retired employee's account by auto credit process.
6. All are advised to take a careful note of the same and bring contents of this circular to the notice of all concerned.



(Suresh Chandra Teli)
CHIEF GENERAL MANAGER (HR)

Classification: Internal